

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी, (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- रामसुख गुर्जर RAS
राजस्व वाद संख्या 188/18

कैम्प ग्राम पंचायत 8105921

वादी

बनाम

रामसुख

प्रतिवादीगण,

रामसुख



वाद पत्र धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक :- 14/6/18

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री रामसुख पुत्र सोहनराज जाति निवासी 8105921 तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है, वादी का नाम ग्राम 8105921 के खाता संख्या/खसरा नम्बर 206 में श्री रामसुख पुत्र सोहनराज जाति अंकित हो गया है, जो सही नहीं है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/आधार कार्ड में सही नाम रामसुख पुत्र सोहनराज है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी की गई। कि वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट कैम्प 8105921 में पेश करे। पत्रावली कैम्प 8105921 में पेश हुई। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती हेतु कैम्प 8105921 में दस्तावेज पेश किये, जो शामिल मिसल किये। कैम्प में उपस्थित मौतबरान से पूछताछ व वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में ही स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम 8105921 तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 206 में वादी श्री रामसुख पुत्र सोहनराज निवासी 8105921 की जगह वादी का सही नाम रामसुख पुत्र सोहनराज जाति निवासी 8105921 दुरुस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो, मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/6/18 को सरे आम कैम्प 8105921 में सुनाया गया।

रामसुख गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी, नागौर